न्यायालयः प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी :: देवांश अग्रवाल)

RCS 154A/2023
Filling date 01-08-2023
Filling No. RCSA/559/2023
CNR. No. MP0706-003527-2023

कु. मिनी सेंगर पुत्री राजेश सिंह सेंगर, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी–प्रीति कॉलोनी, डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

————————वादी

//विरूद्ध//

1. स्वयंवर सिंह सेंगर पुत्र मेहरवान सिंह सेंगर, आयु लगभग 85 वर्ष, निवासी– वार्ड क्रमांक 27, प्रीति कॉलोनी, डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.
2. बाबू सिंह सेंगर पुत्र स्वयंसिंह सेंगर, आयु लगभग 60 वर्ष निवासी–अर्जुन पब्लिक स्कूल के पास, सेंगर सदन जी.एम.1418, डी.डी. नगर ग्वालियर म.प्र.
3. नरेन्द्र सिंह सेंगर पुत्र स्वयंसिंह सेंगर, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी–वार्ड क्रमांक 27, आर.के.प्लाजा के पास, बल्ला का डेरा झांसी रोड़ डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.
4. राजेश सिंह सेंगर पुत्र स्वयंसिंह सेंगर, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी–वार्ड क्रमांक 27, प्रीति कॉलोनी, डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.
5. मुकेश सिंह सेंगर पुत्र स्वयंसिंह सेंगर, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी– एफ–9, पानी की टंकी के पास, चेतकपुरी जिला ग्वालियर म.प्र.
6. तहसीलदार, तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.
7. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर ग्वालियर म0प्र0

————————प्रतिवादीगण

———————————————————————————————

वादी द्वारा	:	श्री डी.के. श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 1 व 4 द्वारा	:	श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 3 व 5 द्वारा	:	श्री संजीव शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा	:	पूर्व से एकपक्षीय।

———————————————————————————————

//निर्णय//

(आज दिनांक 20.01.2026 को घोषित)

1. वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त मकान जिसकी चौड़ाई 20 फीट, लंबाई 33 फीट कुल क्षेत्रफल 660 वर्गफीट जिसके पूर्व दिशा में ढीमर का मकान, पश्चिम दिशा में 2 फीट चौड़ी गली बाद पंडितजी का मकान, उत्तर दिशा में 5 फीट गली बाद भरोसा बाढ़ई का मकान तथा दक्षिण में बल्लाराम का प्लॉट ग्राम बुजुर्ग तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. है, जो सर्वे क्रमांक 269/2 मिन 37 स्थित ग्राम बुजुर्ग का अंश भाग होकर जिसकी वर्तमान चतुर्सीमा पूर्व दिशा में 15 फुट का चौड़ा रास्ता बाद सुनील बाथम की भूमि, पश्चिम दिशा में उमाचरण गुप्ता का मकान, उत्तर दिशा में 5 फीट चौड़ी गली बाद कालीचरण झा का मकान व दक्षिण दिशा में बैकुठीदेवी गुप्ता का मकान है, के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं वादी के वादग्रस्त मकान के आधिपत्य में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप न करने के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा बावत् प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी की दादी श्रीमती सुखदेवी सेंगर पत्नी स्वयंवर सिंह सेंगर द्वारा वादग्रस्त मकान की भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गयी थी।

3. वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की दादी श्रीमती सुखदेवी सेंगर पत्नी स्वयंवर सिंह सेंगर निवासी–डबरा द्वारा विवादित मकानियत जिसमें तत्समय एक कच्ची मड़इया व वाउण्ड्री वॉल निर्मित होकर उसकी पूर्व स्वामिनी व आधिपत्यधारिणी श्रीमती विमलादेवी पत्नी भगवतीप्रसाद पाराशर निवासी डबरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.02.1980 द्वारा क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया तथा राजस्व रिकार्ड में विधिवत नामांतरण कराया गया तथा नामांतरण कराने के उपरांत उसमें तल मंजिल में दो कमरे, एक लेटरिन बाथरूम, छोटा आंगन, छत पर यानि प्रथम मंजिल पर आने जाने हेतु जीना तथा प्रथम मंजिल में दो कमरे, एक किचिन तथा प्रथम मंजिल से द्वितीय मंजिल में आने जाने हेतु जीना पक्का निर्मित कराया गया तथा अपने जीवनकाल तक वहैसियत मालिक, काबिज व आधिपत्यधारी निवास करती व उपयोग, उपभोग करती रही। श्रीमती सुखदेवी पत्नी स्वयंवर सिंह निवासी डबरा शहर वादिनी व उसके पिता राजेश सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 4) व बाबा प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ उनके जीवनकाल में रहती चली आने से तथा वादिनी व उसके

पिता राजेश सिंह (प्रतिवादी क्रमांक 4) द्वारा उनकी सेवा सुश्रुषा व समय समय पर इलाज आदि किये जाने व वादिनी उनकी पोती होने से उससे असीम स्नेह व प्यार होने से उनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 04.11.2019 को स्वस्थचित अवस्था में बिना किसी दबाव व प्रभाव के स्वेच्छापूर्वक सब रजिस्ट्रार कार्यालय डबरा में अपने स्वयं का निशानी अंगूठा लगाकर साक्षी अरूण परिहार निवासी डबरा व स्वयंवर सिंह निवासी डबरा की उपस्थिति में साक्षीगण के रूप में उक्त साक्षियों के हस्ताक्षर कराकर रजिस्टर्ड वसीयतनामा संपादित व निष्पादित किया जो उनकी मृत्यु दिनांक 31.01.2022 को हो जाने से व उनके द्वारा अपने जीवनकाल में वादिनी के हक में संपादित वसीयतनामा प्रभावशील हो जाने से वादिनी विवादित भवन में वहैसियत स्वामिनी व आधिपत्यधारिणी स्वयं व अपने माता पिता तथा बाबा के साथ निवास करती व उपयोग, उपभोग करती चली आ रही है। प्रतिवादीगण क्रमांक 2, 3 व 5 का वादग्रस्त भवन में न कोई स्वत्व है, न स्वामित्व, न आधिपत्य है और न ही उनका एवं प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 4 का उक्त भवन से किचिंत मात्र कोई संबंध व सरोकार है और न ही उन्हें उक्त भवन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति करने का किचिंत मात्र कोई संवैधानिक अधिकार है। अतः वादी की ओर से उसके पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 01 अनुसार सहायता प्रदान करने का निवेदन किया।

4. प्रतिवादी क्रमांक 03 व 05 द्वारा अपने जबावदावा में स्वीकृत तथ्यों के अलावा शेष तथ्यों से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि वादग्रस्त मकान की चौड़ाई 20 फीट लंबाई 33 फीट कुल 660 वर्गफीट जो सर्वे क्रमांक 269/2 मिन 37 ग्राम बुजुर्ग तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित है, उक्त संपत्ति की स्वामी सुखदेवी थी, सुखदेवी को उक्त संपत्ति उनके पति स्वयंवर सिंह ने उनकी पुश्तैनी संपत्ति से प्राप्त आय से क्रय की थी और केवल नुमायशी विक्रयपत्र संपादित किया था इसके अलावा निर्माण कार्य प्रतिवादी क्रमांक 01 व उसके पुत्रगण ने शामिल रूप से कराया था और वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 03 व 05 अपने अपने परिवार सहित निवासरत है। प्रतिवादी क्रमांक 04 व वादी कभी भी प्रतिवादी क्रमांक 01 के शामिल परिवार में नहीं रहे है और प्रतिवादी क्रमांक 04 विवाह के बाद से ही अपने परिवार से अलग हो गया था और कभी भी न ही प्रतिवादी क्रमांक 04 व वादी सुखदेवी की देखभाल करने नहीं आये और न ही एकांकी रूप से वादी से सुखदेवी को कोई स्नेह प्यार व दुलार करने की आवश्यकता थी क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 01 व

सुखदेवी के चार पुत्र बाबूसिंह, नरेन्द्र सिंह, राजेश सिंह एवं मुकेश सिंह है, बाबूसिंह के पुत्रगण जयंत, शैलेन्द्र एवं पुत्री अंजली तथा राजेश के पुत्र आयुष व पुत्री मिनी तथा मुकेश का पुत्र पियूष है, इतनी संतानों को छोड़कर केवल वादी से ही प्रेम स्नेह करने एवं अपने चारों पुत्रगण छोड़कर केवल अपनी नातिनी जिसका निकट भविष्य में विवाह हो जायेगा और संपत्ति किसी अन्य परिवार में चली जावेगी, उसके हित में वसीयतनमा करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 04 ने अपनी पुत्री वादी को लाभ पहुंचाये जाने की नीयत से फर्जी वसीयतनामा तैयार कराया गया है, जिसके संबंध में रजिस्ट्रार ने पैसा खाया है और जो इस बात से सिद्ध है कि वह मौके पर नहीं आया, न ही मकान की स्थिति देखी व न ही वारिसान की जानकारी ली गयी, न ही समस्त वारिसान की सहमति करायी गयी और फर्जी रूप से नामांतरण आदि की कार्यवाही की गयी है। वादग्रस्त मकान जिसकी चौड़ाई 20 फीट व लंबाई 33 फीट कुल क्षेत्रफल 660 वर्गफीट जिसके पूर्व दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता बाद सुनील बाथम का मकान, पश्चिम दिशा में उमाचरण गुप्ता का मकान, उत्तर दिशा में पांच फीट गली के बाद कालीचरण झा का मकान एवं दक्षिण में बैकुण्ठीदेवी गुप्ता का मकान ग्राम बुजुर्ग, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित है, जिसका सर्वे क्रमांक 269/2 मिन 37 है, उक्त मकान का भूखंड को प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति को विक्रय कर एवं प्रतिवादीगण की आय से भूखंड खरीद कर नुमायशी विक्रय पत्र प्रतिवादीगण की मां सुखदेवी के नाम से विक्रयपत्र कराया गया था, प्रतिवादीगण की मां ने सन् 1997 में वादग्रस्त मकान का बाहमी बंटवारा कर तल मंजिल के पूर्व दिशा के दो कमरे नरेन्द्र को, पश्चिम दिशा का एक कमरा अपने पास रखा था तथा चौक, बाथरूम एवं उपरी मंजिल में जाने के लिये जीना संयुक्त रूप से उपयोग हेतु तथा उपरी मंजिल में निर्मित पूर्व दिशा का कमरा मुकेश को एवं पश्चिम दिशा का कमरा राजेश को तथा चौक संयुक्त उपयोग को दिया गया, बाहमी बंटवारा के मुताबिक सभी अपने अपने भाग पर काबिज होकर निवासरत है, प्रतिवादी क्रमांक 03 के द्वारा वादग्रस्त मकान को अपनी आय से निर्मित किया था, बाहमी बंटवारा के मुताबिक प्रतिवादीगण वादग्रस्त मकान के अपने अपने भाग पर निवासरत हैं।

5. जबाव में आगे यह भी लेख किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं उसकी पुत्री वादिनी कु. मिनी सेंगर के मन में बेईमानी आ जाने के कारण वादग्रस्त मकान को हड़पने की गरज से तथाकथित वसीयत बाहमी बंटवारा को विफल किये जाने के उद्देश्य से

षड़यंत्र कर निर्मित किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 03 के द्वारा अपनी आय/अर्जित रूपये से वादग्रस्त मकान के तल मंजिल में सभी कमरे, एक लेटरिन, बाथरूम, आंगन, छत पर यानि प्रथम मंजिल पर आने–जाने हेतु जीना तथा प्रथम मंजिल में दो कमरे, एक किचिन तथा प्रथम मंजिल से द्वितीय मंजिल पर आने जाने हेतु जीना पक्का निर्मित कराया गया, वादग्रस्त मकान में प्रतिवादी क्रमांक 03 अपनी मां के जीवनकाल से ही परिवार सहित निवासरत है। हम सभी ने मिलकर उसका निर्माण कराया है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 01 व 04 द्वारा समस्त वादपत्र को स्वीकार करते हुये डिक्री किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति न किये जाना व्यक्त किया है।

7. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर वाद के न्याय संगत निराकरण हेतु निम्न वादप्रश्न विरचित किए गए है और उसके समक्ष निष्कर्ष अंकित है :–

क्रं.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या वादी वादग्रस्त मकान जिसकी चौड़ाई 20 फीट, लंबाई 33 फीट कुल क्षेत्रफल 660 वर्गफीट, जिसके पूर्व दिशा में ढीमर का मकान, पश्चिम दिशा में 2 फीट चौड़ी गली बाद पंडित जी का मकान, उत्तर दिशा में 5 फीट गली बाद भरोसा बाढ़ई का मकान तथा दक्षिण दिशा में बल्लराम का प्लॉट स्थित है जो सर्वे क्रमांक 269/2 मिन 37 स्थित ग्राम बुजुर्ग, तहसील डबरा जिला ग्वालियर का अंश है, का उसकी दादी सुखदेवी सेंगर के वसीयतनामे दिनांक 04.11.2019 के आधार पर स्वामी है ?	**साबित**
2.	क्या वादी वादग्रस्त मकान की आधिपत्यधारी है ?	**साबित**
3.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादग्रस्त मकान के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	**साबित**
4.	सहायता एवं व्यय ?	**निर्णय के चरण क्रमांक 39 लगायत 41 अनुसार**

<u>वादप्रश्न क्रमांक 01 के संबंध में निष्कर्ष :–</u>

8. वादी साक्षी वादी मिनी (वा.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि

वादग्रस्त मकान सर्वे क्रमांक 269/2 मिन 37 ग्राम बुजुर्ग में स्थित होकर उसका कुल क्षेत्रफल 660 वर्गफीट है, उक्त मकान उसकी दादी सुखदेवी ने विमलादेवी से फरवरी 1980 में खरीदा था। वादग्रस्त मकान खरीदते समय मकान के स्थान कच्ची मड़ईया व बाउन्ड्रीवॉल बनी थी उसकी दादी द्वारा मड़इया के स्थान पर दो मंजिला मकान बनाया था। उसकी दादी वादग्रस्त मकान में उसके एवं उसके माता पिता के साथ निवास करती थी। उसकी दादी की वर्ष 2014 तक उसके माता पिता सेवा करते थे एवं वर्ष 2014 के पश्चात् वह अपनी दादी की सेवा करती थी।

9. साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसकी दादी ने अपने जीवनकाल में उसके हक में वसीयतनामा वादग्रस्त मकान के संबंध में निष्पादित किया था। वसीयतनामा दिनांक 04.11.2019 को उसकी दादी ने रजिस्ट्रार कार्यालय डबरा में निष्पादित किया था। वसीयतनामा निष्पादन के समय उसके दादा दादी एवं अरूण परिहार उपस्थित थे। वसीयतनामे पर उसके दादा स्वयंवर सिंह एवं साक्षी अरूण परिहार ने हस्ताक्षर किये थे तथा उसकी दादी ने अंगूठा लगाया था। उसकी दादी की मृत्यु दिनांक 31.01.2022 को हो गयी थी जिसके पश्चात् नामांतरण की कार्यवाही तहसील कार्यालय में करायी गयी थी। उक्त आवेदन पर प्रतिवादी नरेन्द्र सिंह एवं मुकेश सेंगर द्वारा आपत्ति करने पर आवेदन निरस्त कर दिया गया था। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वसीयतनामे के समय उसकी दादी शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ थी।

10. उक्त तथ्यों से भिन्न प्रतिवादी नरेन्द्र सिंह सेंगर (प्र.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह वादी एवं प्रतिवादीगण को जानता है। वादग्रस्त मकान उसकी माता सुखदेवी ने वर्ष 1980 में खरीदा था। वादग्रस्त मकान उसने तथा उसके भाईयों ने मिलकर बनाया था। उसकी माता द्वारा सन् 1997–98 के आसपास वादग्रस्त मकान का बंटवारा मौखिक रूप से उसके एवं उसके भाईयों के मध्य कर दिया था। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि वादी द्वारा फर्जी वसीयत किसी अन्य महिला से तैयार करा ली गयी है एवं उसकी माता द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयतनामा नहीं किया गया है।

11. प्रतिवादी मुकेश सिंह (प्र.सा.2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में वादग्रस्त मकान सन् 1980 में उसके पिता स्वयंवर सिंह द्वारा बनाया जाना व्यक्त किया है। साक्षी ने भी उसकी

मां द्वारा कोई वसीयतनामा निष्पादित न करना व्यक्त किया है।

12. प्रकरण में यह तथ्य अवलोकनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबावदावे में वादग्रस्त मकान की भूमि पैतृक आय से क्रय करना व्यक्त किया है परन्तु इस संबंध में न्यायालय में कोई कथन नहीं किये गये हैं। प्रकरण में वादग्रस्त मकान सुखदेवी के स्वत्व का होकर उसके द्वारा अपने जीवनकाल में वादी के हक में वसीयतनामा निष्पादित के करने के तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है, जिसे वादी को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर साबित करना आवश्यक है।

13. वादी द्वारा वादग्रस्त मकान वादी की दादी सुखदेवी के स्वत्व का होने के संबधं में रजिस्टर्ड कार्यालय से प्राप्त बुक बी–1 में लगी विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–1 की प्रस्तुत की है। प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त विक्रय पत्र में वादी की दादी द्वारा ग्राम बुजुर्ग स्थित 660 वर्गफीट का वादग्रस्त मकान का प्लॉट विमलादेवी से क्रय करना लेखबद्ध है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य भी है कि विमलादेवी से वादग्रस्त मकान का प्लॉट क्रय किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्श पी–1 के विक्रय पत्र को चुनौती भी नहीं दी गयी है तथा उक्त विक्रयपत्र के खंडन में किसी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित भी नहीं कराया गया है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी की दादी सुखदेवी द्वारा वादग्रस्त मकान का भूखंड क्रय किया गया था।

14. प्रतिवादी क्रमांक 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा वादी साक्षी वादी मिनी (वा.सा.1) से प्रतिपरीक्षरण में पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त मकान उसके जन्म से पूर्व खरीदा गया था परन्तु साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वादग्रस्त मकान खरीदने की राशि प्रतिवादी क्रमांक 3 व 5 द्वारा दी गयी थी। प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 3 नरेश (प्र.सा.1) एवं प्रतिवादी क्रमांक 5 मुकेश (प्र.सा.2) ने भी अपने न्यायालयीन कथन में उक्त विक्रय पत्र के समय कोई राशि प्रदान करना न्यायालय में व्यक्त नहीं किया है। यद्यपि प्रतिवादी नरेन्द्र (प्र.सा.1) ने वादग्रस्त मकान उसने तथा उसके भाईयों द्वारा मिलकर बनाया जाना व्यक्त किया है परन्तु प्रतिवादी मुकेश (प्र.सा.2) ने अपने न्यायालयीन कथन में उक्त मकान उसके पिता स्वयंवर सिंह द्वारा बनाया जाना व्यक्त किया है।

15. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त मकान का भूंखड वादी की दादी सुखदेवी द्वारा क्रय किया गया था। न्यायालय के समक्ष ऐसी भी साक्ष्य

अभिलेख पर नहीं है जिससे न्यायालय को यह दर्शित हो कि वादग्रस्त मकान का भूखंड संयुक्त परिवार की आय से क्रय कर सभी प्रतिवादीगण द्वारा बनवाया गया हो। अतः न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादग्रस्त मकान वादी की दादी सुखदेवी के स्वत्व का था। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विवादित है कि सुखदेवी की मृत्यु हो चुकी है जिसके संबंध में वादी द्वारा सुखदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–3 का प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से दर्शित है कि सुखदेवी की मृत्यु दिनांक 31.01.2022 को हो चुकी है।

16. उक्त तथ्य प्रमाणित होने के पश्चात् न्यायालय को अब यह देखा जाना है कि वादी की दादी सुखदेवी द्वारा वादी के पक्ष में वादग्रस्त मकान के संबंध में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था या नहीं। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में वसीयतनामा प्रदर्श पी–2 का प्रस्तुत किया है। प्रदर्श पी–2 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त वसीयतनामा रजिस्टर्ड होकर वादी की दादी सुखदेवी द्वारा वादग्रस्त मकान के संबधं में वसीयतनामा वादी के पक्ष में किया जाना लेखबद्ध है। प्रदर्श पी–2 के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त वसीयतनामे में साक्षी के रूप में वादी के दादा स्वयंवर सिंह एवं अन्य साक्षी अरूण परिहार का नाम लेखबद्ध है।

17. वादी द्वारा उक्त वसीयतनामे को प्रमाणित कराने हेतु न्यायालय में वसीयतनामे के साक्षी अरूण परिहार (वा.सा.3) के कथन कराये गये है। साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह सुखदेवी को जानता है। सुखदेवी की मृत्यु हो चुकी है। उसके समक्ष सुखदेवी ने वादी मिनी सेंगर के हक में वसीयतनामा दिनांक 04.11.2019 को संपादित किया था। वसीयतनामा तहसील डबरा में रजिस्ट्रार कार्यालय डबरा में निष्पादित किया गया था। वसीयतनामे के समय वह, स्वयंवर सिंह एवं सुखदेवी उपस्थित थी। कम्प्यूटर के माध्यम से दस्तावेज लेखक द्वारा वसीयतनामा टाइप कराया गया था जिसमें सुखदेवी द्वारा अपनी नातिन मिनी सेंगर के नाम पर एक मकान एक प्लॉट किया था। वसीयतनामा पर उसके समक्ष सुखदेवी ने अंगूठा लगाया था तथा उसने भी वसीयतनामें पर पढ़कर हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष स्वयंवर सिंह ने भी वसीयतनामे पर हस्ताक्षर किये थे।

18. साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उक्त वसीयतनामा प्रदर्श पी–2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर स्वयंवर सिंह के हस्ताक्षर है। वसीयतनामा प्रदर्श पी–2 के सी से सी भाग पर सुखदेवी का फोटो, डी से डी भाग पर

स्वयंवर सिह का फोटो एवं ई से ई भाग पर उसका स्वयं का फोटो लगा हुआ है। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वसीयतनामे के समय सुखदेवी की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति स्वस्थ थी।

19. प्रतिवादी क्रमांक 3 व 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि वह वसीयत करने तहसील में लगभग दो ढाई बजे पहुंचे थे। वसीयतनामे की लिखापढ़ी रजिस्ट्रार द्वारा न कर दस्तावेज बनाने वाले ने की थी। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने वसीयतनामा होते समय संपत्ति के कागज देखे थे। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने प्रदर्श पी–2 का वसीयतनामा पढ़ लिया था परन्तु उसे आज मकान का नंबर याद नहीं है। सुखदेवी ने उक्त वसीयतनामे में अपने पुत्रगण को कोई संपत्ति नहीं दी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि सुखदेवी वसीयत के समय उपस्थित नहीं थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वसीयतनामा सुखदेवी के पति ने लेखबद्ध कराया था। साक्षी द्वारा उक्त वसीयतनामा स्वयं सुखदेवी द्वारा लेखबद्ध कराया जाना व्यक्त किया है। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि सुखदेवी मानसिक रूप से वसीयतनामे के समय स्वस्थ नहीं थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

20. वसीयतनामा प्रदर्श पी–2 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त वसीयतनामे में साक्षी के न्यायालयीन कथन अनुसार ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं ई से ई भाग पर उसका फोटो है। प्रकरण में यह तथ्य अवलोकनीय है कि वसीयतनामा प्रदर्श पी–2 के अन्य साक्षी स्वयंवर सिहं द्वारा अपने जबावदावे में संपूर्ण तथ्यों को स्वीकार करते हुये वसीयतनामा प्रदर्श पी–2 पर स्वयं के हस्ताक्षर एवं फोटो होना व्यक्त किया है। वादी साक्षी अरूण (वा.सा.3) के प्रतिपरीक्षण से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा साक्षी के कथनों का कोई खंडन न्यायालय में नहीं किया गया है। साक्षी द्वारा वसीयतनामा प्रदर्श पी–2 से संपोषक कथन न्यायालय में किये गये है।

21. **धारा 63, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925** के अनुसार वसीयतकर्ता वसीयत पर अपने हस्ताक्षर करेगा एवं वसीयत दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक साक्षी ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुये देखा हो या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की हो एवं प्रत्येक साक्षी

द्वारा वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हो।

22. हस्तगत प्रकरण में धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार साक्षी अरूण (वा.सा.3) द्वारा वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना व्यक्त किया गया है एवं वसीयतकर्ता द्वारा भी उसके एवं वसीयतनामे के अन्य साक्षी स्वयंवर सिंह के समक्ष हस्ताक्षर करना व्यक्त किया गया है। साक्षी स्वयंवर सिंह द्वारा भी उसके एवं वसीयतकर्ता सुखदेवी के समक्ष वसीयतनामा प्रदर्श पी–2 पर हस्ताक्षर करना व्यक्त किया है। न्यायालय को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के सभी तथ्यों का पालन होना दर्शित होता है।

23. प्रकरण में वसीयतनामा फर्जी होकर किसी अन्य महिला द्वारा निष्पादित करने के तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तथ्य को साबित करने हेतु न्यायालय में परीक्षित कराया है और न ही कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादी साक्षीगण से सुखदेवी स्वस्थचित अवस्था में न होने के संबंध में सुझाव अवश्य दिया गया है परन्तु उक्त तथ्य को साबित करने हेतु कोई चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः प्रकरण में आयी समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों से यह साबित पाया जाता है कि वादी वादग्रस्त मकान जिसकी चौड़ाई 20 फीट, लंबाई 33 फीट कुल क्षेत्रफल 660 वर्गफीट, जिसके पूर्व दिशा में ढीमर का मकान, पश्चिम दिशा में 2 फीट चौड़ी गली बाद पंडित जी का मकान, उत्तर दिशा में 5 फीट गली बाद भरोसा बाढ़ई का मकान तथा दक्षिण दिशा में बल्लाराम का प्लॉट स्थित है जो सर्वे कमांक 269/2 मिन 37 स्थित ग्राम बुजुर्ग, तहसील डबरा जिला ग्वालियर का अंश है, का उसकी दादी सुखदेवी सेंगर के वसीयतनामे दिनांक 04.11.2019 के आधार पर स्वामी है।

<u>वादप्रश्न क्रमांक 02 के संबंध में निष्कर्ष :–</u>

24. वादी साक्षी वादी मिनी (वा.सा.1) ने अपने न्यायालयील कथन में व्यक्त किया है कि वह अपनी दादी एवं माता पिता के साथ वादग्रस्त मकान में निवास करती थी। साक्षी द्वारा यह दादी की मृत्यु पश्चात् वादग्रस्त मकान उसके आधिपत्य का होना व्यक्त किया है।

25. उक्त कथनों से भिन्न प्रतिवादी नरेन्द्र (प्र.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में उसकी माता सुखदेवी द्वारा सन् 1997–98 में वादग्रस्त मकान का मौखिक रूप से बंटवारा करना व्यक्त किया है। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि मकान के निचले वाली मंजिल पर दो कमरे बने हुये है जिसमें वह निवास करता है एवं सामने की तरफ बने तीसरे

कमरे में उसकी माता निवास करती थी। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि प्रथम मंजिल के एक कमरे में उसका भाई मुकेश निवास करता है तथा माताजी के कमरे के उपर बने कमरे में उसका भाई राजेश निवास करता है।

26. प्रतिवादी मुकेश (प्र.सा.2) द्वारा भी अपने न्यायालयीन कथन में वादग्रस्त मकान में सभी भाईयों द्वारा अपने माता पिता के साथ निवास करना एवं माता सुखदेवी की मृत्यु के पश्चात् सभी भाईयों द्वारा अपने पिता के साथ निवास करना व्यक्त किया है।

27. वादी मिनी (वा.सा.1) द्वारा वादग्रस्त मकान में स्वयं का आधिपत्य प्रमाणित करने हेतु न्यायालय में यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा उसकी दादी की मृत्यु पश्चात् नामांतरण हेतु आवेदन दिये जाने पर प्रतिवादी क्रमांक 3 व 5 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जिस पर मौके पर जाकर पटवारी द्वारा पंचनामा बनाया गया था तथा प्रतिवेदन प्रेषित किया जिसमें वादी का आधिपत्य होना पाया था। वादी द्वारा न्यायालय में नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रदर्श पी–4, उक्त प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति प्रदर्श पी–6, पंचनामा प्रदर्श पी–9 एवं पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्श पी–10 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है।

28. प्रदर्श पी–4 के अवलोकन से दर्शित है कि सुखदेवी की मृत्यु के पश्चात् वादी मिनी (वा.सा.1) द्वारा नामांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किया गया था। प्रदर्श पी–6 के अवलोकन से भी दर्शित है कि उक्त नामांतरण प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 3 व 5 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जिसके संबंध में पटवारी द्वारा मौके पर जांच की गयी थी। पंचनामा प्रदर्श पी–9 के अवलोकन से दर्शित है कि मौके पर वादग्रस्त मकान में मृतिका सुखदेवी द्वारा अपने पति एवं चौथे पुत्र वादी के पिता राजू सेंगर के परिवार सहित निवास करना पाया था तथा शेष सभी पुत्रों को अलग मकान में निवास करना पाया था। प्रदर्श पी–10 के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि उक्त संबंध में पटवारी द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को प्रेषित किया गया था।

29. प्रतिवादी क्रमांक 3 व 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी साक्षी मिनी (वा.सा.1) से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह व उसके पिता वादग्रस्त मकान में निवास नहीं करते हैं। प्रकरण में यह तथ्य अवलोकनीय है कि स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अपनी न्यायालयीन कथनों में वादी मिनी एवं उसके पिता द्वारा वादग्रस्त मकान में ही निवास करना व्यक्त किया गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा

साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने भी अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–9 का पंचनामा असत्य रूप से तैयार किया गया है।

30. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादी साक्षी मिनी (वा.सा.1) के प्रतिपरीक्षण में वादी द्वारा नांमातरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना, उक्त प्रकरण में उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करना एवं आपत्ति के निराकरण के दौरान मौके पर जांच कर पंचनामा प्रदर्श पी–9 एवं प्रतिवेदन प्रदर्श पी–10 को तैयार करने के तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी है।

31. वादी द्वारा वादग्रस्त मकान में स्वयं के आधिपत्य को दर्शाने हेतु वादी साक्षी कपिल चौबे (वा.सा.2) के कथन भी कराये हैं। साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वादग्रस्त मकान से उसका मकान चार पांच मकान छोड़कर है। वादग्रस्त मकान में वादी, वादी के दादा, वादी का भाई व पिता निवास करते हैं। वादग्रस्त मकान में वादी का आधिपत्य है एवं अन्य किसी का आधिपत्य नहीं है। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि बाबूसिंह सेंगर ग्वालियर में निवास करते हैं, नरेन्द्र सिंह बल्ला के डेरा में निवास करता है तथा मुकेश सिंह भी ग्वालियर में निवास करता है।

32. प्रतिवादी क्रमांक 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वर्ष 1997 में वादग्रस्त मकान का बाहमी बंटवारा हो गया था। साक्षी द्वारा व्यक्त किया है कि उसे स्वयंवर सिंह एवं उनकी पत्नी ने बताया था कि कोई बंटवारा नहीं हुआ है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त बाहमी बंटवारे को विफल करने के लिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह प्रदर्श पी–9 का पंचनामा बनाते समय मौजूद है। प्रदर्श पी–9 के पंचनामें के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि मौके पर मुकेश व नरेन्द्र भी काबिज है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह वादी के बताये अनुसार न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी के उक्त कथनों से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा साक्षी के कथनों का कोई खंडन न्यायालय में नहीं किया गया है।

33. प्रतिवादी साक्षी प्रतिवादी नरेन्द्र सिंह सेंगर (प्र.सा.1) से वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका भाई बाबूसिंह वर्तमान में अर्जुन पब्लिक स्कूल के पास डीडी नगर ग्वालियर में अपने परिवार सहित

निवास करता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादी अपने पिता सहित वादग्रस्त मकान में निवास करती है एवं स्वयंवर सिंह भी उसी मकान में निवास करते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता स्वयंवर सिंह वादी एवं वादी के पिता के साथ निवास करते हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आर के प्लाजा डबरा में निवास करता है एवं उसका भाई मुकेश ग्वालियर में निवास करता है।

34. प्रतिवादी साक्षी मुकेश सिंह (प्र.सा.2) से भी वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि उसका भाई बाबूसिंह ग्वालियर में निवास करता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका भाई नरेन्द्र आर के प्लाजा डबरा में निवास करता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह ड्रायवरी का कार्य करता है एवं चेतकपुरी ग्वालियर में निवास करता है।

35. प्रतिवादी साक्षी रामू मांझी (प्र.सा.3) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वादग्रस्त मकान में वर्तमान में नरेन्द्र सिंह, राजू उर्फ राजेन्द्र एवं मुकेश निवास करता है। साक्षी द्वारा आज दिनांक तक उक्त लोगों द्वारा वादग्रस्त मकान में निवास करना व्यक्त किया है।

36. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया है कि वादग्रस्त मकान के पास उसकी कोई संपत्ति नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि प्रतिवादी नरेन्द्र आर के प्लाजा के पास बल्ला के डेरा में निवास करता है। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि मुकेश चेतकपुरी ग्वालियर में निवास करता है। यद्यपि साक्षी द्वारा वादग्रस्त मकान में प्रतिवादी क्रमांक 3 व 5 द्वारा निवास करना व्यक्त किया है परन्तु साक्षी द्वारा यह व्यक्त नहीं किया गया है कि उक्त तथ्य की जानकारी उसे किस प्रकार है।

37. प्रकरण में वादग्रस्त मकान में वादी का आधिपत्य को साबित करने का भार वादी पर था जिसे वादी को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर साबित करना आवश्यक था। न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त मकान में स्वयं के आधिपत्य के संबंध में कोई स्थिर कथन नहीं किये गये है। स्वयं प्रतिवादी साक्षी मुकेश (प्र.सा.2) द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 व 5 द्वारा अन्य जगह निवास करना व्यक्त किया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष यह भी साबित करने में असफल रहे है कि उनकी माता सुखदेवी द्वारा

सन् 1997–98 के आसपास बाहमी बंटवारा किया गया था, जिसके विपरीत वादी द्वारा स्वयं के आधिपत्य के संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी–9 एवं प्रतिवदेन प्रदर्श पी–10 का प्रस्तुत किया है जिसका कोई खंडन प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। वादी साक्षी कपिल चौबे (वा.सा.2) के कथन भी इस संबंध में अखंडनीय रहे है। अतः संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर यह साबित पाया जाता है कि वादी वादग्रस्त मकान की आधिपत्यधारी है।

<u>वादप्रश्न क्रमांक 03 के संबंध में निष्कर्ष :–</u>

38. वादी मिनी (वा.सा.1) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। इस संबंध में वादी द्वारा आपत्ति पत्र प्रदर्श पी–6 भी प्रस्तुत किया है। न्यायालय के समक्ष भी प्रतिवादी क्रमांक 3 नरेन्द्र (प्र.सा.1) एवं प्रतिवादी क्रमांक 5 मुकेश (प्र.सा.2) ने भी अपने न्यायालयीन में वादग्रस्त मकान में स्वयं का आधिपत्य होना व्यक्त किया है। उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष यह दर्शाते हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादग्रस्त मकान के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 3 साबित पाया जाता है।

<u>सहायता एवं वाद व्यय</u>

39. न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 के निष्कर्ष में यह साबित पाया है कि वादी वादग्रस्त मकान जिसकी चौड़ाई 20 फीट, लंबाई 33 फीट कुल क्षेत्रफल 660 वर्गफीट, जिसके पूर्व दिशा में ढीमर का मकान, पश्चिम दिशा में 2 फीट चौड़ी गली बाद पंडित जी का मकान, उत्तर दिशा में 5 फीट गली बाद भरोसा बाढ़ई का मकान तथा दक्षिण दिशा में बल्लराम का प्लॉट स्थित है जो सर्वे क्रमांक 269/2 मिन 37 स्थित ग्राम बुजुर्ग, तहसील डबरा जिला ग्वालियर का अंश है, का उसकी दादी सुखदेवी सेंगर के वसीयतनामे दिनांक 04.11.2019 के आधार पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादग्रस्त मकान के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद **स्वीकार** कर निम्नलिखित आज्ञप्ति जारी की जाती है :–

1. वादी वादग्रस्त मकान जिसकी चौड़ाई 20 फीट, लंबाई 33 फीट कुल क्षेत्रफल 660 वर्गफीट, जिसके पूर्व दिशा में ढीमर का मकान, पश्चिम दिशा में 2 फीट चौड़ी

गली बाद पंडित जी का मकान, उत्तर दिशा में 5 फीट गली बाद भरोसा बाढ़ई का मकान तथा दक्षिण दिशा में बल्लराम का प्लॉट स्थित है जो सर्वे क्रमांक 269/2 मिन 37 स्थित ग्राम बुजुर्ग, तहसील डबरा जिला ग्वालियर का अंश है, का उसकी दादी सुखदेवी सेंगर के वसीयतनामे दिनांक 04.11.2019 के आधार पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।

2. प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह वादी के वादग्रस्त मकान के आधिपत्य में स्वयं व किसी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगें।

40. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादीगण स्वयं का एवं वादी का वाद व्यय वहन करेगा।

41. अधिवक्ता शुल्क मध्यप्रदेश व्यवहार नियम, 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, जो भी कम हो वादव्यय में जोड़ा जावें।

तद्नुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित
कर पारित किया गया।

(देवांश अग्रवाल)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के,
अतिरिक्त न्यायाधीश
डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित
किया गया।

(देवांश अग्रवाल)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के,
अतिरिक्त न्यायाधीश
डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

DEVANSH AGRAWAL
Digitally signed by DEVANSH AGRAWAL
Date: 2026.01.20 17:30:53 +0530